लामगारा

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-1

आ० स्वीकार/रिमाण्ड
23/12/2019

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

चावण्ड सिंह पुत्र विजय सिंह जाति रावणा व अन्य बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 493/2019 सन् 20 19 (भिनाय)

2019/00493

(लामगारा)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री अविनाश माथुर श्री ए०एडवो०	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
23.12.19	यह अपील श्री अविनाश माथुर एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी,भिनाय के आदेश दिनांक 13.12.2019, प्रकरण संख्या 42/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र व अपील पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट/वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है और पूर्व में भी माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा वादीगण/अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए आवंटन की कार्यवाही की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया था किन्तु तहसीलदर द्वारा मण्डल के आदेश की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण प्रार्थी को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ा और दौराने दावा आराजी को सुरक्षित रखने हेतु धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा तीन माह बीत जाने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे अपीलांट/वादीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इस कारण न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए थी, अप्रार्थी/प्रतिवादी गैर कानूनी तरीके से विवादित आराजी का आवंटन दिगर व्यक्तियों को करने पर आमादा है। यदि दौराने वाद व ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने एवं विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को आवंटन नहीं करें ना ही अपीलांट/वादीगण को बेदखल नहीं करने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट का कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी यथास्थिति के आदेश से संरक्षित किया जाना न्यायसंगत है। चूँकि अपीलांटस/वादीगण ने अपने वाद पत्र में भी विवादित आराजी के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसका निस्तारण बाद साक्ष्य व सुनवाई होना है इसलिए न्यायहित में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवादित आराजी के भौतिक स्थिति एवं राजस्व अभिलेख को यथावत् रखा जाना न्यायहित में उचित है।	लगातार

भिनाय
493/91225

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामचन्द्र सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
20.9.10	श्री अविनाश माथुर श्री	
लगातार	प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 60 दिवस में करें तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी खसरा नम्बर पुराने 778 व नये खसरा नम्बर 767 का कुल रकबा 20 बीघा वाकै ग्राम लामगरा तहसील भिनाय के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण हो जाने पर न्यायालय हाजा को आदेश निष्प्रभावी रहेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	